

‘बिजेस पोस्ट’ के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति। क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. सिसर्व, दिनांक 30-5-2001।<sup>४</sup>



पंजीयन क्रमांक  
‘छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015।’

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 21, शक 1936

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4)  
राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और  
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं,  
(7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरास्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2—राज्य शासन एतद्वारा श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997), सचिव मुख्यमंत्री तथा सचिव, खनिज संसाधन विभाग, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी एवं संचालक, व प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का असिरिकत प्रभार भी सौंपता है।

श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997) द्वारा सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का प्रभार लेने पर श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (1985), अस्त्र मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण व वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली के बीच अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव।

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री शिव अनंत तायल, भा.प्र.से. (2012), अनुविभागीय अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, जांजगीर के पद पर पदस्थ करता है तथा इसके साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा का अतिरिक्त प्रभार भी संभालता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 9-05/2013/1-8.—विभागीय समसंबंधिक आदेश दिनांक 14-08-2012 द्वारा श्री ए. पी. त्रिपाठी, अतिरिक्त महाप्रबंधक, दूरसंचार सेवा (1993 बैच) की सेवाएं, 02 वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार निगम, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें विशेष सचिव, वाणिज्यिक कर के पद पर पदस्थ किया गया है, इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 31-01-2015 को समाप्त हो रही है।

2. राज्य शासन एतद्वारा श्री त्रिपाठी की उक्त प्रतिनियुक्ति की अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि करता है। इनकी प्रतिनियुक्ति की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-23/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्वारा श्री राजेश नहोरया, उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ को दिनांक 15-09-2014 से 19-09-2014 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 13, 14-09-2014 का पूर्ववर्ती तथा दिनांक 20, 21-09-2014 का पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश की अनुमति दी जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री नहोरया, उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री नहोरया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नहोरया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

नया रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-26/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्वारा श्री के. सी. यादव, भा.व.से. संचालक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ को दिनांक 24-10-2014 से 07-11-2014 तक कुल 15 दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाता है। साथ ही दिनांक 23-10-2014 एवं दिनांक 08 व 09-11-2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री यादव, संचालक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश वर्ते जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एल. आदिल, उप-सचिव.

| (1)    | (2) | (3)          | (4)          | (5)  | (6) |
|--------|-----|--------------|--------------|------|-----|
| गौरेला | 25  | आमाडोब       | आमाडोब       | 1208 | 16  |
|        |     |              | योग          | 1208 |     |
| गौरेला | 26  | पतरकोनी      | पतरकोनी      | 787  | 18  |
|        |     |              | मडना         | 861  | 18  |
|        |     |              | योग          | 1648 |     |
| गौरेला | 27  | सारबहरा      | सारबहरा      | 5495 | 20  |
|        |     |              | योग          | 5495 |     |
| गौरेला | 28  | सधवानी       | सधवानी       | 4701 | 23  |
|        |     |              | योग          | 4701 |     |
| गौरेला | 29  | धनगवां       | धनगवां       | 1706 | 22  |
|        |     |              | योग          | 1706 |     |
| गौरेला | 30  | ललाती        | ललाती        | 936  | 22  |
|        |     |              | गांधीपुर     | 619  | 22  |
|        |     |              | योग          | 1555 |     |
| गौरेला | 31  | करगीखुर्द    | करगीखुर्द    | 1504 | 26  |
|        |     |              | योग          | 1504 |     |
| गौरेला | 32  | नेवरीनवापारा | नेवरीनवापारा | 2616 | 23  |
|        |     |              | योग          | 2616 |     |
| गौरेला | 33  | बनझोरका      | बनझोरका      | 777  | 25  |
|        |     |              | रानीझांप     | 708  | 25  |
|        |     |              | हरिपुर       | 551  | 25  |
|        |     |              | योग          | 2036 |     |
| गौरेला | 34  | जोगीसार      | जोगीसार      | 2875 | 25  |
|        |     |              | योग          | 2875 |     |
| गौरेला | 35  | बेलपत        | बेलपत        | 1117 | 26  |
|        |     |              | योग          | 1117 |     |
| गौरेला | 36  | बस्ती        | बस्ती        | 1311 | 27  |
|        |     |              | योग          | 1311 |     |
| गौरेला | 37  | कोटमीखुर्द   | कोटमीखुर्द   | 1452 | 27  |
|        |     |              | योग          | 1452 |     |
| गौरेला | 38  | बगरा         | बगरा         | 1120 | 28  |
|        |     |              | पीपरबहरा     | 377  | 28  |
|        |     |              | योग          | 1497 |     |
| गौरेला | 39  | टीकरखुर्द    | टीकरखुर्द    | 1008 | 28  |
|        |     |              | योग          | 1008 |     |
| गौरेला | 40  | बढावनडांड    | बढावनडांड    | 1856 | 17  |
|        |     |              | योग          | 1856 |     |
| गौरेला | 41  | साल्हेघोरी   | साल्हेघोरी   | 1270 | 6   |
|        |     |              | योग          | 1270 |     |

| (1)    | (2) | (3)     | (4)         | (5)  | (6) |
|--------|-----|---------|-------------|------|-----|
| गौरेला | 42  | अंजनी   | अंजनी       | 1154 | 13  |
|        |     |         | योग         | 1154 |     |
| गौरेला | 43  | ठाडपथरा | ठाडपथरा     | 899  | 15  |
|        |     |         | तंवरडबरा    | 476  | 15  |
|        |     |         | योग         | 1375 |     |
| गौरेला | 44  | पडवनिया | पडवनिया     | 1103 | 15  |
|        |     |         | योग         | 1103 |     |
| गौरेला | 45  | हरी     | हरी         | 1000 | 8   |
|        |     |         | योग         | 1000 |     |
| गौरेला | 46  | डुंगरा  | डुंगरा      | 1213 | 26  |
|        |     |         | योग         | 1213 |     |
| गौरेला | 47  | उमरखोही | उमरखोही     | 1067 | 26  |
|        |     |         | योग         | 1067 |     |
| गौरेला | 48  | लमना    | लमना        | 1247 | 27  |
|        |     |         | योग         | 1247 |     |
| गौरेला | 49  | आमगांव  | आमगांव      | 1172 | 28  |
|        |     |         | योग         | 1172 |     |
| गौरेला | 50  | पूटा    | पूटा        | 765  | 28  |
|        |     |         | टीडी        | 427  | 28  |
|        |     |         | डांडजमडीकला | 375  | 28  |
|        |     |         | योग         | 1567 |     |

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,  
कलेक्टर.

### छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्रमांक 5652.—जल (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की धारा 12 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

#### विनियम

##### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—

- (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम, 2014 कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिमाणारं.— इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल;
- (ख) “मण्डल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल;
- (ग) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (घ) “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा, समय—समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क. एफ—८—५/पच्चीस/४/८४, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ड) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न अनुसूची;
- (च) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (छ) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ज) “चयन/पदोन्नति समिति” से अभिप्रेत है अनुसूची—तीन में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति तथा अनुसूची—चार में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति समिति;
- (झ) “सेवा” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सेवा;
- (ञ) “राज्य” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समिलित होंगे, अर्थात्—

- (1) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में समिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परन्तु मण्डल, शासन के परामर्श से, सेवा में समिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, यूद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका.—

- (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्—
  - (क) प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के द्वारा अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन के द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;
  - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची—चार में उल्लिखित है;
  - (ग) आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति द्वारा।

- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी।
- (4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।
- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी लागू होंगे।
7. सेवा में नियुक्ति— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें— सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्—
- (एक) आयु—
- (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
  - (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गेर—क्रीमी—लेयर) से संबंधित हों, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
  - (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
  - (घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी—
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ के स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यस्त कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण—** शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण—** शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व भितव्यिता इकाई की सिफरिसों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (छ.) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;
- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सर्वण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नॉन कमीशण अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- टीप-(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात्, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
- (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिग्राप्त करनी होगी।
- (ज) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;
- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (द) शैक्षणिक अर्हताएं.— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शित है।
- परन्तु यह कि (क) आपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी को, चयन समिति/मण्डल की सिफारिश पर अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं

में से कोई अहंता नहीं रखता है, किन्तु जिसमें किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षायें ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में पद के लिये विहित शैक्षणिक अहंता की पुष्टि करता हो और

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो अन्यथा अहं हो, किन्तु जिन्होंने शासन द्वारा विशेष रूप से मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों, के चयन के लिये भी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा।

### (तीन) शुल्क:-

- (क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों को इस प्रकार के शुल्क के भुगतान से छूट होगी।
- (ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

### १. निरहिता:-

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिग्राह करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए निरहित माना जा सकेगा।
- (2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पूत्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से, छूट दे सकेगा।

- (3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वरूप, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में वाधा डाल सकते हों से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

- (7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

#### 10. अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।—

- (1) चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (2) चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि मण्डल के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, मण्डल द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

#### 11. प्रतियोगिता परीक्षा/ चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती।—

- (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि मण्डल, समय-समय पर, अवधारित करे।
- (2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।
- (3) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में

नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपरोक्त खण्ड (4) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

- (6) यदि आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति हेतु, अपेक्षित अर्हता रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थी, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो, तो शेष रिक्तियों इन अभ्यर्थियों के लिये अनन्य रूप से (दोबारा) पुनर्विज्ञापित की जायेगी। यदि पुनर्विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियां शेष रह जाती हैं तो वे शासन से परामर्श पश्चात् सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे तथा अतिरिक्त रिक्तियों की समतुल्य संख्या पश्चातवर्ती चयन के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (अग्रणित रिक्तियों सहित) विज्ञापित कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से, किसी भी समय, अधिक नहीं होगी।

- (7) सीधी भर्ती की दशा में, अर्ह सूची रोजगार कार्यालय से प्राप्त किये जायेंगे तथा रोजगार नियोजन में भी विज्ञापित की जायेगी।
- (8) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पदों को, महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जाएगा। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।
- (9) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/विनियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

## 12. चयन समिति द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों की सूची।-

- (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेशित करेगा।
- (2) इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये मण्डल की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।
- (3) इस विनियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

- (5) चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची, नियुक्ति प्राधिकारी या मण्डल, जिसको भी लागू हो, के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

### 13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–

- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य समिलित होंगे:

परन्तु इस खण्ड के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

- (2) समिति की धैतक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।  
 (3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार तथा बॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।  
 (4) आरक्षित रिवितयों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, खण्ड (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।  
 (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों/दिनियगों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण व्याख्यान लिया है।

### 14. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.–

- (1) खण्ड (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

परन्तु यह कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान्यता देकर चयन श्रेणी/पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है;

परन्तु पदोन्नति के समय, अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि संबंधी शैक्षणिक आर्हत क्रमांक 3 एवं 4 के पदों के लिए इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व कार्यरत अधिकारियों पर लागू नहीं रहेंगी।

**स्पष्टीकरण.–** पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना दो वर्ष— संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानवीन समिति आहूत की जाती है, एवं प्रथम जनवरी को वार्षिकी सेवा

की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता यह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।
- (दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण के लिए क्षेत्र, कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।
- (3) खण्ड (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

#### 15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना।-

- (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त विनियम 13 एवं 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।
- (2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार हो जायेगी।
- (3) यह सूची उल्लेखन का सम्यक ध्यान रखते हुए सभी प्रकार से मेरिट एवं उपयुक्तता पर आधारित होगी।

- (4) इस प्रकार चयन सूची तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।
- (5) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के लिए अवधि की जायेगी।
- (6) चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यदि सेवा के किसी सदस्य, यथास्थिति, का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

**स्पष्टीकरण—** ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वान्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात् वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

#### 16. चयन सूची.—

- (1) चयन सूची में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-
- (क) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख; और
- (ख) ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख जिनको समिति की अनुशंसा के आधार पर अवक्रमित करना प्रस्तावित हो।
- (2) चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाना— समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची पर ऊपर वर्णित दस्तावेजों/अभिलेखों के साथ नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और उसके अनुमोदन के पश्चात्, वह सूची पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची, न्यायोचित एवं उपयुक्त प्रतीत न हो तो पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई सूची नियुक्ति प्राधिकारी की राय के साथ प्रथम अवसर पर मण्डल की बैठक में प्रस्तुत होगी और मण्डल का निर्णय अंतिम होगा तथा मण्डल के निर्णय के अनुसार इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची अंतिम होगी।
- (3) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाये, किन्तु इसकी वैधता, इसके अनुमोदित होने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण एवं कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में मण्डल के सदस्य सचिव अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा निर्देश दे तो संबंधित व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा। इस संबंध में इस प्रकार की गई कार्यवाही की जानकारी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

- (4) याद कोई व्यक्ति अपनी पदोन्नति का लाभ उठाने में, लिखित रूप में असमर्थता व्यक्त करता है तो ऐसे पदोन्नति आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये, उसकी पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।

**17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति।—**

(1) चयन सूची में संमिलित अधिकारियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

**18. परिवीक्षा।—**

- (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- (ख) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की अवधि, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- (ग) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
- (2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

**19. सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति।—** यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, किसी विशेष पद पर, कुछ सेवा निवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति, मण्डल की सेवा हेतु व्यापक हित में आवश्यक है तो ऐसी नियुक्ति, मण्डल के शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी/सेवकों को ऐसी अवधि, जो अधिवार्षिकी आयु से चार वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं होगी, के लिये संविदा आधार पर चयन द्वारा किया जायेगा। संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम/विनियम/जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे।

**20. सेवा की अन्य शर्तें।—**

- (1) सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण एवं अनुशासन के संबंध में, शासन के निम्नलिखित नियम/विनियम, जैसा कि समय-समय पर लागू हो, सेवा के प्रत्येक सदस्य को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे:—
  - (क) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961;
  - (ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965;
  - (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966; और इस उपांतरण के साथ कि नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के समक्ष की जा सकेगी। अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल अपील की छानबीन हेतु एक समिति का गठन करेगा जिसमें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित तीन अधिकारी शामिल होंगे। समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल प्रस्तुत अपील पर निर्णय लेगा, जो अंतिम होगा; और

- (2) वेतनमान, वेतन निर्धारण, मंहगाई भरते, अन्य भरते, समयमान वेतनमान, अवकाश तथा अधिकारिकी आयु आदि के मामलों में, जैसा कि शासकीय सेवकों को समय-समय पर लागू हो, इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे।
21. **निर्वचन**— यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे मण्डल को निर्देष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
22. **शिथिलीकरण**— इन विनियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि, वह एसी व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने वाली मण्डल वर्गीकृत की, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है।  
परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन विनियमों में उपलब्ध रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।
23. **निरसन एवं व्यावृत्ति**—
- (1) इन विनियमों के तत्त्वानी और इस निमित्त मण्डल द्वारा जारी अन्य कार्यवालिक निर्देश तथा इन विनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त रामस्त विनियम, इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:
- परन्तु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन विनियमों के तत्त्वानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।
- (2) इन विनियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

### अनुसूची-एक

(विनियम 5 देखिये)

| सं. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान |
|-----|-------------------------------|----------------|----------|---------|
| (1) | (2)                           | (3)            | (4)      | (5)     |

#### (क) अभियांत्रिकी सेवायें

|   |                        |   |              |                           |
|---|------------------------|---|--------------|---------------------------|
| 1 | मुख्य अभियंता          | 1 | प्रथम श्रेणी | 37400-67000+गेड घेतग 9000 |
| 2 | अतिरिक्त मुख्य अभियंता | 2 | प्रथम श्रेणी | 37400-67000+गेड घेतग 9000 |
| 3 | अधीक्षण अभियंता        | 6 | प्रथम श्रेणी | 15900-38100+गेड घेतग 9000 |
| 4 | उत्तराधिकारी           | 1 | प्रथम श्रेणी | 15900-38100+गेड घेतग 9000 |
| 5 | संविधान द्वारा नियमित  | 1 | प्रथम श्रेणी | 15900-38100+गेड घेतग 9000 |

| (1)                          | (2)  | (3) | (4)            | (5)                         |
|------------------------------|--|-----|----------------|-----------------------------|
| <b>(ख) वैज्ञानिक सेवायें</b> |  |     |                |                             |
| 1                            | वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी   | 3   | प्रथम श्रेणी   | 15600-39100+ग्रेड वेतन 7600 |
| 2                            | मुख्य रसायनज्ञ   | 7   | प्रथम श्रेणी   | 15600-39100+ग्रेड वेतन 6600 |
| 3                            | वैज्ञानिक  | 15  | द्वितीय श्रेणी | 15600-39100+ग्रेड वेतन 5400 |
| <b>(ग) प्रशासन एवं लेखा</b>  |  |     |                |                             |
| 1                            | अनुभाग अधिकारी<br>(इस वेतनमान के पद, वर्तमान में कार्यरत अधिकारी के लिए)<br>(आईग कैडर) | 2   | द्वितीय श्रेणी | 15600-39100+ग्रेड वेतन 5400 |
| 2                            | स्टॉफ ऑफिसर  | 1   | द्वितीय श्रेणी | 9300-34800+ग्रेड वेतन 5400  |
| <b>(घ) जनसंपर्क सेवायें</b>  |  |     |                |                             |
| 1                            | जन संपर्क अधिकारी  | 1   | प्रथम श्रेणी   | 15600-39100+ग्रेड वेतन 6600 |
| 2                            | सहायक जनसंपर्क अधिकारी   | 1   | द्वितीय श्रेणी | 15600-39100+ग्रेड वेतन 5400 |

टीप :-

- (1) एकांगी पद, शासन के नियमानुसार समयमान वेतनमान का पद होगा।
- (2) नगर अधिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, अंशदायी भविष्य निधि, अनुग्रह भुगतान, पेंशन आदि के मामले में बोर्ड के निर्णय के अनुसार कार्यवाही होगी।
- (3) अनुभाग अधिकारी का वेतनमान रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 5400 का यह पद वर्तमान में कार्यरत अधिकारी के लिए है इवं भविष्य में सेवानिवृत्ति की स्थिति में इस वेतनमान का यह पद स्वयमेव समाप्त हो जायेगा।

### अनुसूची-दो

(विनियम 6 देखिये)

| स.क्र.                          | सेवा/पद का नाम         | पदों की संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत           |   |
|---------------------------------|------------------------|----------------|---|---|
|                                 |                        |                | सीधी भर्ती द्वारा<br>(विनियम 6 (1) (क)<br>देखिये) | सेवा के सदस्यों की<br>पदोन्तति द्वारा<br>(विनियम 6 (1) (ख)<br>देखिये) |
| (1)                             | (2)                    | (3)            | (4)   | (5)   |
| <b>(क) अभियांत्रिकी सेवायें</b> |                        |                |   |   |
| 1                               | मुख्य अभियंता          | 1              | —   | 100%  |
| 2                               | अतिरिक्त मुख्य अभियंता | 2              | —   | 100%  |
| 3                               | अधीक्षण अभियंता        | 6              | —   | 100%  |
| 4                               | कार्यपालन अभियंता      | 9              | —   | 100%  |
| 5                               | सहायक अभियंता          | 20             | 96%   | 4%  |

| (1)                                 | (2)                      | (3) | (4)  | (5)  |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|------|------|
| <b>(ख) वैज्ञानिक सेवायें</b>        |                          |     |      |      |
| 1                                   | वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | 3   | —    | 100% |
| 2                                   | मुख्य रसायनज्ञ           | 7   | —    | 100% |
| 3                                   | वैज्ञानिक                | 15  | 30%  | 70%  |
| <b>(ग) प्रशासन एवं लेखा सेवायें</b> |                          |     |      |      |
| 1                                   | स्टॉफ ऑफिसर              | 1   | —    | 100% |
| <b>(घ) जनसंपर्क सेवायें</b>         |                          |     |      |      |
| 1                                   | जनसंपर्क अधिकारी         | 1   | —    | 100% |
| 2                                   | सहायक जनसंपर्क अधिकारी   | 1   | 100% | —    |

**अनुसूची-तीन**

(विनियम 8 देखिये)

| स. क्र. | सेवा / पद का नाम       | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा  | विहित शैक्षणिक अर्हता   | चयन समिति  |
|---------|------------------------|------------------|--|---|--|
| (1)     | (2)                    | (3)              | (4)  | (5)   | (6)  |
| 1       | सहायक अभियंता          | 21 वर्ष          | 30 वर्ष<br>छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष | किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल / रासायनिक / पर्यावरण अभियांत्रिकी में बी.इ. / बी.टेक. उपाधि   | (1) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल<br><br>(2) अवर सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग<br><br>(3) मण्डल के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी संयोजक<br><br>(4) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की अनुमति से विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों को समिति में सदस्य के रूप में, (उस सम्बन्ध में जैसा उचित समझा जाये), सम्मिलित किया जा सकेगा। |
| 2       | वैज्ञानिक              | तदैव             | तदैव   | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवविज्ञान / पर्यावरण विज्ञान / वनस्पति शास्त्र / रसायन शास्त्र / भौतिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि | —तदैव—   |
| 3       | सहायक जनसंपर्क अधिकारी | तदैव             | तदैव   | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में स्नातक उपाधि   | —तदैव—   |

## अनुसूची—चार

(विनियम 6 एवं 14 देखिये)

| सं. क्र | पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हैं | पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हैं | अनुभव एवं शैक्षणिक अर्हता | पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| (1)     | (2)                                  | (3)                                   | (4)                       | (5)                              |

## (क) अभियांत्रिकी सेवायें

|   |                        |                        |   |   |         |
|---|------------------------|------------------------|---|---|---------|
| 1 | अतिरिक्त मुख्य अभियंता | मुख्य अभियंता          | अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा   | (1) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल  | अध्यक्ष |
|   |                        |                        |   | (2) अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग  | सदस्य   |
|   |                        |                        |   | (3) मण्डल के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी   | संयोजक  |
|   |                        |                        |   | (4) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की अनुमति से विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को समिति में सदस्य के रूप में, (उस संख्या में जैसा उचित समझा जाये), सम्मिलित किया जा सकेगा। |         |
| 2 | अधीक्षण अभियंता        | अतिरिक्त मुख्य अभियंता | अधीक्षण अभियंता के पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा  | —तदैव—  |         |
| 3 | कार्यपालन अभियंता      | अधीक्षण अभियंता        | कार्यपालन अभियंता के पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा के साथ पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि   | —तदैव—  |         |
| 4 | सहायक अभियंता          | कार्यपालन अभियंता      | सहायक अभियंता के पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा के साथ पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि   | —तदैव—  |         |
| 5 | उप अभियंता             | सहायक अभियंता          | सिविल अभियांत्रिकी में पत्रोपाधि के साथ उप अभियंता के पद पर 12 वर्ष की निरंतर सेवा<br>अथवा<br>सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि के साथ उप अभियंता के पद पर 8 वर्ष की निरंतर सेवा | —तदैव—  |         |

## (ख) वैज्ञानिक सेवायें

|   |                |                          |   |        |
|---|----------------|--------------------------|---|--------|
| 1 | मुख्य रसायनज्ञ | वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | मुख्य रसायनज्ञ के पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा | —तदैव— |
|---|----------------|--------------------------|---|--------|

| (1)                                   | (2)                       | (3)                  | (4)  | (5)    |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|--|--------|
| 2                                     | वैज्ञानिक                 | मुख्य<br>रसायनज्ञ    | वैज्ञानिक के पद पर 5 वर्ष<br>की निरंतर सेवा  | -तदैव- |
| 3                                     | कनिष्ठ वैज्ञानिक          | वैज्ञानिक            | कनिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर 3<br>वर्ष की निरंतर सेवा के साथ<br>एम.एस.सी. उपाधि<br>अथवा<br>कनिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर 6<br>वर्ष की निरंतर सेवा के साथ<br>बी.एस.सी. उपाधि | -तदैव- |
| <b>(ग) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें</b> |                           |                      |  |        |
| 1                                     | स्टेनोग्राफर ग्रेड-एक     | स्टॉफ<br>ऑफिसर       | स्टेनोग्राफर ग्रेड-एक के पद<br>पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा  | -तदैव- |
| <b>(घ) जन संपर्क सेवायें</b>          |                           |                      |  |        |
| 1                                     | सहायक जनसंपर्क<br>अधिकारी | जन संपर्क<br>अधिकारी | सहायक जनसंपर्क अधिकारी<br>के पद पर 5 वर्ष की निरंतर<br>सेवा  | -तदैव- |

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्रमांक 5653.— जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की धारा 12 की उप-धारा (उक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (तृतीय श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

### विनियम

#### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा ग्राहक—

- (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) विनियम, 2014 कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. परिभाषाएँ— इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल;
- (ख) “मण्डल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल;
- (ग) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

- (घ) “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-८-५-पच्चीस-४-८४, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ङ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ज) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (झ) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ञ) “चयन/पदोन्नति समिति” से अभिप्रेत है अनुसूची—तीन में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति तथा अनुसूची—चार में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति समिति;
- (ञ) “सेवा” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (तृतीय श्रेणी) सेवा;
- (ञ) “राज्य” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1981 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये विनियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्—

- (१) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानान्पन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;
- (२) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और
- (३) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा:

परन्तु मण्डल, शासन के परामर्श से, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका.—

- (१) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्—
  - (क) प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के द्वारा अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन के द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;
  - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची—चार में उल्लिखित है;
  - (ग) आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति द्वारा।
- (२) खण्ड (१) के उप-खण्ड (क) या (ख) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

- (3) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (4) खण्ड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त खण्ड में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।
- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. सेवा में नियुक्ति.— इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.— सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्—

**(एक) आयु—**

- (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-कीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी—
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित

कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो “छंटनी किया गया शासकीय सेवक” हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण-** शब्द “छंटनी किये गये शासकीय सेवक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण-** शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथदा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन ग्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

- (छ:) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;
- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सर्वां पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भेजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नौन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- टीप—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
- (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (अ) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या अधिक आधार पर छूट दिये जाने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु सीमा किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (दो) शैक्षणिक अर्हताएं— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची—तीन में दर्शित है:
- परन्तु यह कि (क) आपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी को चयन समिति/मण्डल की सिफारिश पर अह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विभिन्न अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं रखता है, किन्तु जिसके किन्हीं अन्य संस्थाओं हारा रहा है। इसके अलावा उसकी पर्याप्त दर्जा तो, जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो तब उसे नियुक्ति प्राधिकारी की दर्जा की लिये विहित शैक्षणिक अर्हता की पुष्टि करता हो उसके

- (ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो अन्यथा अहं हो, किन्तु जिन्होंने शासन द्वारा विशेष रूप से मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों, के चयन के लिये भी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा।
- (तीन) (क) शुल्क – अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को ऐसे शुल्क के भुगतान से छूट होगी।
- (ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

### ३. निरर्हिता:-

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिग्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चर्चने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।
- (2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- (3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- (7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरहित नहीं होगा।

**10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा:-**

- (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि मण्डल के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, मण्डल द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

**11. प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती।-**

- (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि मण्डल समय-समय पर अवधारित करे।
- (2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।
- (3) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपरोक्त खण्ड (4) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।
- (6) यदि आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति हेतु, अपेक्षित अर्हता रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थी, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो, तो शेष रिक्तियों इन अभ्यर्थियों के लिये अनन्य रूप से (दोबारा) पुनर्विज्ञापित की जायेगी।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- (7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

#### 10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।-

- (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि मण्डल के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, मण्डल द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

#### 11. प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती।-

- (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि मण्डल समय—समय पर अवधारित करे।
- (2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।
- (3) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, याहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपरोक्त खण्ड (4) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।
- (6) यदि आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति हेतु, अपेक्षित अर्हता रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थी, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो, तो शेष रिक्तियां इन अभ्यर्थियों के लिये अनन्य रूप से (दोबारा) पुनर्विज्ञापित की जायेगी।

यदि युनर्विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियां शेष रह जाती हैं तो वे राज्य शासन से परामर्श पश्चात् सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे तथा अतिरिक्त रिक्तियों की समतुल्य संख्या पश्चातवर्ती चयन के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (अग्रणित रिक्तियों सहित) विज्ञापित कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से, किसी भी समय, अधिक नहीं होगी।

- (7) सीधी भर्ती की दशा में, अहं सूची रोजगार कार्यालय से प्राप्त किये जायेंगे तथा रोजगार नियोजन में भी विज्ञापित की जायेगी।
- (8) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।
- (9) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/विनियम/जारी आदेश/ निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

#### 12. चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची।-

- (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।
- (2) इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये मण्डल की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।
- (3) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (4) उपरोक्त खण्ड (1) में यथा विनिर्दिष्ट सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (5) चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची, नियुक्ति प्राधिकारी या मण्डल, जिसको भी लागू हो, के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

#### 13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति।-

- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस खण्ड के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

- (2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।
- (3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।
- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, खण्ड (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुग्रहाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

#### 14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें—

- (1) खण्ड (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों:

परन्तु यह कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान्यता देकर चयन श्रेणी/पदोन्नति के लिये केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जायेगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है।

**स्पष्टीकरण—** पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— (1) संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) (क) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अस्थर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के जिये पर्याप्त होगी।

- (ख) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण के लिए क्षेत्र, कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।
- (3) खण्ड (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) शासन द्वारा विहित आक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

#### 15. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना।—

- (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त विनियम 13 एवं 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपर्युक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।
- (2) उपर्युक्त कर्मचारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।
- (3) यह सूची वरिष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए सभी प्रकार से मेरिट एवं उपर्युक्तता पर आधारित होगी।
- (4) इस प्रकार चयन सूची तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।
- (5) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित एवं पुनर्विलोकित की जायेगी।
- (6) चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यदि सेवा के किसी सदस्य, यथास्थिति, का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

**स्पष्टीकरण—** ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से

ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

**16. चयन सूची:-**

- (1) चयन सूची में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-
  - (क) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख; और
  - (ख) ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख जिनको समिति की सिफारिश के आधार पर अवक्रमित करना प्रस्तावित हो।
- (2) चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाना— समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची पर ऊपर वर्णित दस्तावेजों/अभिलेखों के साथ नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और उसके अनुमोदन के पश्चात्, वह सूची पदोन्नति के लिए चयन सूची होती। यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची, न्यायोचित एवं उपयुक्त प्रतीत न हो तो पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई सूची नियुक्ति प्राधिकारी की राय के साथ प्रथम अवसर पर मण्डल की बैठक में प्रस्तुत होगी और मण्डल का निर्णय अंतिम होगा तथा मण्डल के निर्णय के अनुसार इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची अंतिम होगी।
- (3) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाये, किन्तु इसकी वैधता, इसके अनुमोदित होने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।  
परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण एवं कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा निर्देश दे तो संबंधित व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा। इस संबंध में इस प्रकार की गई कार्यवाही की जानकारी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) यदि कोई व्यक्ति अपनी पदोन्नति का लाभ उठाने में लिखित रूप में असमर्थता व्यक्त करता है तो ऐसे पदोन्नति आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये, उसकी पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

**17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति:-** (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

**18. परिवीक्षा:-**

- (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- (ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

- (ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशिष्ट अस्थर्थी अधिकारी बनने के योग्य नहीं हैं तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- (2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
19. सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति.— यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, किसी विशेष पद पर, कुछ सेवा निवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति, मण्डल की सेवा हेतु व्यापक हित में आवश्यक है तो ऐसी नियुक्ति, मण्डल के शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी/सेवकों को ऐसी अवधि, जो अधिवार्षिकी आयु से चार वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं होगी, के लिये संविदा आधार पर चयन द्वारा किया जायेगा। संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम/विनियम/जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे।
20. सेवा की अन्य शर्तें.—
- (1) सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण एवं अनुशासन के संबंध में, शासन के निम्नलिखित नियम/विनियम, जैसा कि समय-समय पर लागू हो, सेवा के प्रत्येक सदस्य को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे—
- (क) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
- (ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 इस उपांतरण के साथ कि नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के समक्ष की जा सकेगी। अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल अपील की छानबीन हेतु एक समिति का गठन करेगा जिसमें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित तीन अधिकारी शामिल होंगे। समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल प्रस्तुत अपील पर निर्णय लेगा, जो अंतिम होगा; और
- (2) वेतनमान, वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्ते, अन्य भत्ते, समयमान वेतनमान, अवकाश तथा अधिवार्षिकी आयु आदि के मामलों में, जैसा कि शासकीय सेवकों को समय-समय पर लागू हों, इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे।
21. निर्वचन.— यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे मण्डल को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
22. शिथिलीकरण.— इन विनियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की मण्डल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

### 23. निरसन एवं व्यावृति.–

(1) इन विनियमों के तत्स्थानी और इस निमित्त मण्डल द्वारा जारी अन्य कार्यपालिक निर्देश तथा इन विनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त विनियम, इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

(2) इन विनियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

### अनुसूची— एक (विनियम 5 देखिये)

| संक्र.                                | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम   | पदों की संख्या | वर्गीकरण     | वेतनमान                  | नियुक्ति प्राधिकारी |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| (1)                                   | (2)   | (3)            | (4)          | (5)                      | (6)                 |
| <b>(क) अभियांत्रिकी सेवायें</b>       |   |                |              |                          |                     |
| 1                                     | उप अभियंता  | 1              | तृतीय श्रेणी | 9300—34800+ग्रेड पे 4200 |                     |
| <b>(ख) वैज्ञानिक सेवायें</b>          |   |                |              |                          |                     |
| 1                                     | कनिष्ठ वैज्ञानिक  | 15             | तृतीय श्रेणी | 9300—34800+ग्रेड पे 4400 |                     |
| 2                                     | रसायनज्ञ  | 20             | —तदैव—       | 9300—34800+ग्रेड पे 4200 |                     |
| 3                                     | प्रयोगशाला सहायक / सेम्प्लर ग्रेड—एक  | 15             | —तदैव—       | 5200—20200+ग्रेड पे 2400 |                     |
| 4                                     | प्रयोगशाला सहायक / सेम्प्लर ग्रेड—दो  | 20             | —तदैव—       | 5200—20200+ग्रेड पे 1900 |                     |
| <b>(ग) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें</b> |   |                |              |                          |                     |
| 1                                     | अनुभाग अधिकारी (भविष्य में पदोन्नति के लिए)   | 3              | तृतीय श्रेणी | 9300—34800+ग्रेड पे 4400 |                     |
| 2                                     | वरिष्ठ लेखापाल/ कार्यालय अधीक्षक (इस वेतनमान के पद, वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए) | 3              | —तदैव—       | 9300—34800+ग्रेड पे 4400 |                     |
| 3                                     | सहायक प्रोग्रामर (मुख्यालय स्तर)  | 1              | —तदैव—       | 9300—34800+ग्रेड पे 4300 |                     |
| 4                                     | वरिष्ठ लेखापाल/ कार्यालय अधीक्षक (भविष्य में पदोन्नति के लिए)                               | 3              | —तदैव—       | 9300—34800+ग्रेड पे 4300 |                     |
| 5                                     | सहायक अधीक्षक/ लेखापाल  | 14             | —तदैव—       | 9300—34800+ग्रेड पे 4200 |                     |
| 6                                     | सहायक ग्रेड—दो  | 20             | —तदैव—       | 5200—20200+ग्रेड पे 2400 |                     |
| 7                                     | शीघ्रलेखक ग्रेड—एक  | 1              | —तदैव—       | 9300—34800+ग्रेड पे 4400 |                     |
| 8                                     | निज सहायक ग्रेड—दो (इस वेतनमान का पद वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी के लिए)                   | 1              | —तदैव—       | 9300—34800+ग्रेड पे 4400 |                     |

| (1)                     | (2)                | (3) | (4)          | (5)                      | (6) |
|-------------------------|--------------------|-----|--------------|--------------------------|-----|
| 9                       | शीघ्रलेखक ग्रेड-दो | 2   | -तदैव-       | 9300-34800+ग्रेड पे 4300 |     |
| 10                      | शीघ्रलेखक          | 2   | -तदैव-       | 5200-20200+ग्रेड पे 2800 |     |
| 11                      | सहायक ग्रेड-तीन    | 40  | -तदैव-       | 5200-20200+ग्रेड पे 1900 |     |
| 12                      | वाहन चालक          | 20  | -तदैव-       | 5200-20200+ग्रेड पे 1900 |     |
| <b>(घ) विधि सेवायें</b> |                    |     |              |                          |     |
| 1                       | विधि सहायक         | 1   | तृतीय श्रेणी | 9300-34800+ग्रेड पे 4200 |     |

- टीप:-** (1) एकांगी पद, शासन के नियमानुसार समयमान वेतनमान का पद होगा।
- (2) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, अंशदायी भविष्य निधि, अनुग्रह भुगतान, पेशन आदि के मामले में मण्डल के निर्णय के अनुसार कार्यवाही होगी।
- (3) वरिष्ठ लेखापाल / कार्यालय अधीक्षक का वेतनमान रु. 9300-34800+ग्रेड पे 4400 का यह पद, वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए है एवं भविष्य में सेवानिवृत्ति की स्थिति में इस वेतनमान का यह पद, स्वयंभेव समाप्त हो जायेगा।

### अनुसूची-दो

(विनियम 6 देखिये)

| स.क्र                                 | सेवा / पद का नाम                                  | पदों की संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत                 |   | अभियुक्ति |
|---------------------------------------|---|----------------|---|---|-----------|
|                                       |   |                | सीधी भर्ती<br>द्वारा<br>(विनियम 6<br>(1) (क)<br>देखिये) | पदोन्नति<br>द्वारा(विनियम<br>6 (1) (ख)<br>देखिये) |           |
| (1)                                   | (2)   | (3)            | (4)   | (5)   | (6)       |
| <b>(क) अभियांत्रिकी सेवायें</b>       |   |                |   |   |           |
| 1                                     | उप अभियंता  | 1              | 100%  | —   | —         |
| <b>(ख) वैज्ञानिक सेवायें</b>          |   |                |   |   |           |
| 1                                     | कनिष्ठ वैज्ञानिक                                  | 15             | —   | 100%  | —         |
| 2                                     | रसायनज्ञ  | 20             | 75%   | 25%   | —         |
| 3                                     | प्रयोगशाला सहायक /<br>सेम्प्लर ग्रेड-एक           | 15             | 50%   | 50%   | —         |
| 4                                     | प्रयोगशाला सहायक /<br>सेम्प्लर ग्रेड-दो           | 20             | 75%   | 25%   | —         |
| <b>(ग) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें</b> |   |                |   |   |           |
| 1                                     | अनुभाग अधिकारी<br>(भविष्य में पदोन्नति के<br>लिए) | 3              | —   | 100%  | —         |
| 2                                     | सहायक प्रोग्रामर (मुख्यालय<br>स्तर)               | 1              | 100%  | —   | —         |

| (1)                          | (2)                                | (3)     | (4)   | (5)  | (6)  |
|------------------------------|------------------------------------|---------|---|--|--|
| <b>(ख) वैज्ञानिक सेवायें</b> |                                    |         |   |  |  |
| 1                            | रसायनज्ञ                           | 21 वर्ष | 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवविज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/वनस्पति शास्त्र/रसायन शास्त्र/भौतिक शास्त्र विषय में स्नातक उपाधि   | (1) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल<br><br>(2) अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग<br><br>(3) मण्डल के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी<br><br>(4) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की अनुमति से विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को समिति में सदस्य के रूप में, (उस संख्या में जैसा कि उचित समझा जाये), सम्मिलित किया जा सकेगा। |
| 2                            | प्रयोगशाला सहायक/सेम्प्लर ग्रेड-एक | 21 वर्ष | 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवविज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/वनस्पति शास्त्र/रसायन शास्त्र/भौतिक शास्त्र विषय में स्नातक उपाधि   | -तदैव-   |
| 3                            | प्रयोगशाला सहायक/सेम्प्लर ग्रेड-दो | 21 वर्ष | तदैव  | मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से विज्ञान विषय में (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र<br><br>अथवा<br><br>विज्ञान विषय में पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र | -तदैव-   |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)  | (6) |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|
|     |     |     |     | <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>मान्यता प्राप्त<br/>विश्वविद्यालय से<br/>जीवविज्ञान / पर्यावरण<br/>विज्ञान / वनस्पति<br/>शास्त्र / रसायन शास्त्र /<br/>भौतिक शास्त्र विषय में<br/>स्नातक उपाधि।</p> |     |

## (ग) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें

|   |           |         |   |   |   |         |
|---|-----------|---------|---|---|---|---------|
| 1 | शीघ्रलेखक | 18 वर्ष | 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष | (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,<br><br>अथवा<br>पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।<br><br>(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था / शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से—<br>(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये— हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।<br>(ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिये— अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।<br>(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये— ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। | (1) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल<br><br>(2) अवर सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग<br><br>(3) मण्डल के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी | अध्यक्ष |
|   |           |         |   | (2) अवर सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग   | सदस्य   |         |
|   |           |         |   | संयोजक  |   |         |
|   |           |         |   | (4) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की अनुमति से विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों को समिति में सदस्य के रूप में, (उस संख्या में जैसा कि उचित समझा जाये), सम्मिलित किया जा सकेगा।  |   |         |

| (1)                          | (2)                              | (3)     | (4)   | (5)   | (6)  |
|------------------------------|----------------------------------|---------|---|---|--|
|                              |                                  |         |   | (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र और डाटा एण्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।   |  |
| 2                            | सहायक ग्रेड-तीन                  | 18 वर्ष | 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,<br>अथवा<br>पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।<br>मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र।<br>कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। | (1) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल<br>अध्यक्ष  |
|                              |                                  |         |   |   | (2) अवर सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग  |
|                              |                                  |         |   |   | (3) मण्डल के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी  |
|                              |                                  |         |   |   | (4) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की अनुमति से विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को समिति में सदस्य के रूप में, (उस संख्या में जैसा कि उचित समझा जाये), सम्मिलित किया जा सकेगा। |
| 3                            | वाहन चालक                        | 18 वर्ष | तदैव  | कक्षा आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा हल्के एवं भारी वाहन का वैध ड्राइविंग लाईसेंस   | तदैव   |
| <b>(घ) विधि सेवार्थ</b>      |                                  |         |   |   |  |
| 1                            | विधि सहायक                       | 21 वर्ष | 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक तथा स्टेट बार काउंसिल से पंजीकृत   | तदैव   |
| <b>(ङ) कम्प्यूटर सेवार्थ</b> |                                  |         |   |   |  |
| 1                            | सहायक प्रोग्रामर (मुख्यालय स्तर) | 21 वर्ष | 30 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष | प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक/बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) या स्नातक कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी अथवा एम.सी.ए./एम.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर/भौतिक  | तदैव   |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)   | (6) |
|-----|-----|-----|-----|---|-----|
|     |     |     |     | <p>शास्त्र/गणित/<br/>सांख्यिकी/ ऑपरेशन<br/>रिसर्च/अर्थशास्त्र/<br/>कम्प्यूटर साईंस में एम.<br/>एस.सी./एम.ए. या<br/>स्नातक में कम से कम<br/>60 प्रतिशत अंक अथवा<br/>समतुल्य श्रेणी<br/>अथवा<br/>बी.सी.ए./बी.सी.एम./<br/>सूचना प्रौद्योगिकी में<br/>स्नातक, भौतिक शास्त्र/<br/>गणित/सांख्यिकी/<br/>ऑपरेशन रिसर्च/<br/>अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर<br/>उपाधि /बी.एस.सी./बी.<br/>ए. कम्प्यूटर साईंस/<br/>कम्प्यूटर साईंस में<br/>कम्प्यूटर एप्लीकेशन में<br/>पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा<br/>या कम से कम 60<br/>प्रतिशत अंक या समतुल्य<br/>श्रेणी</p> |     |

**अनुसूची—चार**  
(विनियम 6 एवं 14 देखिये)

| स.क्र.  | पद का नाम<br>जिससे पदोन्नति<br>की जानी है | पद का नाम जिस<br>पर पदोन्नति की<br>जानी है | शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव   | पदोन्नति समिति के सदस्य   |   |         |   |       |   |        |   |  |
|---|---|--|---|---|---|---------|---|-------|---|--------|---|--|
| (1)   | (2)                                       | (3)  | (4)   | (5)   |   |         |   |       |   |        |   |  |
| <b>(क) वैज्ञानिक सेवायें</b>  |   |  |   |   |   |         |   |       |   |        |   |  |
| 1   | रसायनज्ञ                                  | कंनिष्ठ वैज्ञानिक                          | <p>रसायनज्ञ के पद पर एक<br/>वर्ष की निरंतर सेवा के<br/>साथ पी.एच.डी. उपाधि<br/>अथवा<br/>रसायनज्ञ के पद पर तीन<br/>वर्ष की निरंतर सेवा के<br/>साथ एम.एस.सी. उपाधि<br/>अथवा<br/>रसायनज्ञ के पद पर छ:<br/>वर्ष की निरंतर सेवा के<br/>साथ बी.एस.सी. उपाधि</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) सदस्य सचिव,<br/>छत्तीसगढ़ पर्यावरण<br/>संरक्षण मंडल</td><td style="width: 50%;">अध्यक्ष</td></tr> <tr> <td>(2) अवर सचिव/<br/>उप सचिव/संयुक्त<br/>सचिव, छत्तीसगढ़<br/>शासन, आवास एवं<br/>पर्यावरण विभाग</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>(3) मण्डल के<br/>प्रशासन के प्रभारी<br/>अधिकारी</td><td>संयोजक</td></tr> <tr> <td>(4) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण<br/>संरक्षण मंडल की अनुमति से<br/>विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को<br/>समिति में सदस्य के रूप में (उस<br/>संख्या में जैसा कि उचित समझा<br/>जाये) सम्मिलित किया जा<br/>सकेगा।</td><td></td></tr> </table> | (1) सदस्य सचिव,<br>छत्तीसगढ़ पर्यावरण<br>संरक्षण मंडल | अध्यक्ष | (2) अवर सचिव/<br>उप सचिव/संयुक्त<br>सचिव, छत्तीसगढ़<br>शासन, आवास एवं<br>पर्यावरण विभाग | सदस्य | (3) मण्डल के<br>प्रशासन के प्रभारी<br>अधिकारी | संयोजक | (4) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण<br>संरक्षण मंडल की अनुमति से<br>विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को<br>समिति में सदस्य के रूप में (उस<br>संख्या में जैसा कि उचित समझा<br>जाये) सम्मिलित किया जा<br>सकेगा। |  |
| (1) सदस्य सचिव,<br>छत्तीसगढ़ पर्यावरण<br>संरक्षण मंडल   | अध्यक्ष                                   |  |   |   |   |         |   |       |   |        |   |  |
| (2) अवर सचिव/<br>उप सचिव/संयुक्त<br>सचिव, छत्तीसगढ़<br>शासन, आवास एवं<br>पर्यावरण विभाग   | सदस्य                                     |  |   |   |   |         |   |       |   |        |   |  |
| (3) मण्डल के<br>प्रशासन के प्रभारी<br>अधिकारी   | संयोजक                                    |  |   |   |   |         |   |       |   |        |   |  |
| (4) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण<br>संरक्षण मंडल की अनुमति से<br>विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को<br>समिति में सदस्य के रूप में (उस<br>संख्या में जैसा कि उचित समझा<br>जाये) सम्मिलित किया जा<br>सकेगा। |   |  |   |   |   |         |   |       |   |        |   |  |

| (1) | (2)                                 | (3)                                 | (4)  | (5)   |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 2   | प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर ग्रेड—एक | रसायनज्ञ                            | <p>प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर ग्रेड—एक के पद पर तीन वर्ष की निरंतर सेवा के साथ एम.एस.सी. उपाधि</p> <p>अथवा</p> <p>प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर ग्रेड—एक के पद पर पांच वर्ष की निरंतर सेवा के साथ बी.एस.सी. उपाधि</p>   | <p>(1) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल</p> <p>(2) अवर सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग</p> <p>(3) मण्डल के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी</p> <p>(4) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की अनुमति से विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों को समिति में सदस्य के रूप में (उस संख्या में जैसा कि उचित समझा जाए) समिलित किया जा सकेगा।</p> |
| 3   | प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर ग्रेड—दो | प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर ग्रेड—एक | <p>विज्ञान विषय में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर ग्रेड—दो के पद पर 10 वर्ष की निरंतर सेवा</p> <p>अथवा</p> <p>मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से विज्ञान विषय में (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र के साथ प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर ग्रेड—दो के पद पर 8 वर्ष की निरंतर सेवा</p> <p>अथवा</p> <p>विज्ञान विषय में पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र के साथ प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर ग्रेड—दो के पद पर 8 वर्ष की निरंतर सेवा</p> <p>अथवा</p> <p>बी.एस.सी. उपाधि के साथ प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर ग्रेड—दो के पद पर 2 वर्ष की निरंतर सेवा</p> | —तदैव—  |

| (1) | (2)                | (3)                                  | (4)   | (5)   |         |
|-----|--------------------|--------------------------------------|---|---|---------|
| 4   | प्रयोगशाला परिचारक | प्रयोगशाला सहायक / सेम्प्लर ग्रेड-दो | विज्ञान विषय में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही प्रयोगशाला परिचारक के पद पर 8 वर्ष की निरंतर सेवा | (1) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल<br>(2) अवर सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग<br>(3) मण्डल के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी | अध्यक्ष |

## (ख) प्रशासन एवं लेखा सेवायें

|   |                                   |                                   |  |        |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------|
| 1 | वरिष्ठ लेखापाल / कार्यालय अधीक्षक | अनुभाग अधिकारी                    | वरिष्ठ लेखापाल / कार्यालय अधीक्षक के पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा | —तदैव— |
| 2 | सहायक अधीक्षक / लेखापाल           | वरिष्ठ लेखापाल / कार्यालय अधीक्षक | सहायक अधीक्षक / लेखापाल के पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा           | —तदैव— |
| 3 | सहायक ग्रेड-दो                    | सहायक अधीक्षक / लेखापाल           | सहायक ग्रेड-दो के पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा                    | —तदैव— |
| 4 | शीघ्रलेखक ग्रेड-दो                | शीघ्रलेखक ग्रेड-एक                | शीघ्रलेखक ग्रेड-दो के पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा                | —तदैव— |
| 5 | शीघ्रलेखक                         | शीघ्रलेखक ग्रेड-दो                | शीघ्रलेखक के पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा                         | —तदैव— |
| 6 | सहायक ग्रेड-तीन                   | सहायक ग्रेड-दो                    | सहायक ग्रेड-तीन के पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा                   | —तदैव— |

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्रमांक 5654.— जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की धारा 12 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (चतुर्थ श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

## विनियम

## 1. संक्षिप्त नाम तथा ग्राम—

- (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (चतुर्थ श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा ग्रे शर्तें) विनियम 2014 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना।— ये विनियम, इस विनियम से यथा संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार चतुर्थ श्रेणी के समस्त पदों पर लागू होंगे।

3. वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि।— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती का तारीका, आयु सीमा, अहंतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इस विनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे:

परन्तु भण्डल, शासन के परामर्श से, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

4. आरक्षण।—

- (1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा।
- (2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये, पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा।
- (3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार होगी।

5. व्यावृत्ति।— इन विनियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्भा नियुक्ति, निःशक्त व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, के लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय समय पर बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

6. शिथिलीकरण।— इन विनियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की मण्डल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

7. निरसन।— इन विनियमों के तत्त्वानी और इन विनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त विनियम, इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन विनियमों के तत्त्वानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

## अनुसूची

(नियम 2 तथा 3 विविध)

| संक्र. | पद का नाम          | कर्तव्य पदों की संख्या | वार्षिकण      | वेतनमान तथा ग्रेड वेतन       | भर्ती का तरीका— सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा या विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत | विहित शैक्षणिक अहंता परिवेक्षा / केवल सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा (न्यूनतम एवं अधिकतम) | परिवेक्षा की कालावधि, यदि कोई हो       | पदोन्नति के मामले में सेवा की अर्ह अवधि है        | पद जिस पर पदोन्नति की जानी है            | चयन/पदोन्नति समिति                       | नियुक्ति प्राधिकारी   |      |
|--------|--------------------|------------------------|---------------|------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|------|
| (1)    | (2)                | (3)                    | (4)           | (5)                          | (6)   | (7)  | (8)                                    | (9)   | (10)                                     | (11)                                     | (12)  | (13) |
| 1.     | प्रयोगशाला परिचारक | 20                     | चतुर्थ श्रेणी | 5200—20200 + ग्रेड वेतन 1800 | 100% सीधी भर्ती द्वारा  | 18 से 30 छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष                                 | 02 वर्ष के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा | प्रयोगशाला परिचारक के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा | प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर ग्रेड-दो सेवा | प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर ग्रेड-दो सेवा | सप्तप्ल द्वारा पर, चयन / पदोन्नति समिति गठित किया जायेगा। इतीय श्रेणी सेवाओं के लिये गठित चयन / पदोन्नति समिति, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के लिये भी विधिमान्य होगी। |      |

| (1) | (2)               | (3) | (4)    | (5)                                  | (6)                          | (7)    | (8)                     | (9)    | (10)  | (11)                          | (12) | (13) |  |
|-----|-------------------|-----|--------|--------------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------|--------|---|-------------------------------|------|------|--|
| 2.  | दफ्तरी            | 12  | -तदैव- | 4750-7440<br>+ प्रेड वेतन<br>रु.1400 | 100%<br>पदोन्नति<br>द्वारा   | -तदैव- | कक्षा 8 वीं<br>उत्तीर्ण | -तदैव- | दफ्तरी के<br>पद पर 5<br>वर्ष की<br>नियमित<br>सेवा तथा<br>हायर<br>सेकेपडरी<br>परीक्षा<br>उत्तीर्ण  | सहायक<br>ग्रेड-तीन            |      |      |  |
| 3.  | भूत्य/<br>चौकीदार | 35  | -तदैव- | 4750-7440<br>+ प्रेड वेतन<br>रु.1300 | 100%<br>सीधी भर्ती<br>द्वारा | -तदैव- | कक्षा 8 वीं<br>उत्तीर्ण | -तदैव- | अस्थर्थ<br>जिन्हें<br>भूत्य/<br>चौकीदार<br>के पद पर<br>8 वर्ष की<br>नियमित<br>सेवा पूर्ण<br>कर तीव्र<br>तथा जो<br>कक्षा 8 वीं<br>परीक्षा<br>उत्तीर्ण हो,<br>दफ्तरी के<br>पद पर<br>पदोन्नति<br>हेतु पात्र<br>होगा।<br><br>अथवा<br>अस्थर्थ<br>जिन्हें<br>भूत्य/<br>चौकीदार<br>के पद पर<br>5 वर्ष की<br>नियमित | दफ्तरी/<br>सहायक<br>ग्रेड-तीन |      |      |  |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |

- टीप— (1) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों के लिए, उच्चतर आयु सीना, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिखितनीय होंगी।
- (2) सहायक ग्रेड-तीन के 10 प्रतिशत पद ऐसे अवृद्ध श्रमी कर्मचारियों से भरे जायेंगे जो दपतरी/भूत्य/चौकीदार के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं टंकण परीक्षा उत्तीर्ण हों।

देवेन्द्र सिंह,  
सदस्य सचिव,